संख्या-३३०६/१२-८-१३३/७४

प्रेषक,

श्री कृपा नारायण श्रीवास्तव,
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-८ लखनऊ दिनांक १४ जुलाई, १९७६

**विषय:-** कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि पदार्थों की वैज्ञानिक आधार पर उचित विपणन की व्यवस्था की दिशा में आपके अधीन कार्यरत कृषि विपणन संगठन के प्रयासों को गति प्रदान करने और कार्यकुशलता में अभिवृद्धि किये जाने तथा कृषि विपणन संगठन और मण्डी परिषद/समितियों के कार्यों में उचित समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय दिनांक १५ जुलाई, १९७६ से कृषि विपणन संगठन को कृषि-निदेशालय से हस्तान्तरित करके कृषि विपणन निदेशालय नामक एक नये निदेशालय की स्थापना किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस निदेशालय का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

२-- राज्यपाल महोदय उक्त कृषि विपणन निदेशालय के लिये आई०ए०एस० के सीनियर स्केल में कृषि विपणन निदेशक का अस्थायी पद २८ फरवरी, १९७७ तक, यदि पूर्व सूचना दिये बिना पहले ही समाप्त न कर दिया जाये, सृजित किये जाने की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान करते हैं कि कृषि विभाग के संयुक्त सचिव के पद धारक मण्डी निदेशक एवं मण्डी परिषद के सचिव के पद भार सम्भालने के साथ-साथ कृषि विपणन निदेशालय के निदेशक के पद भार को भी सम्भालते रहेंगे तथा इस निदेशालय के लिये किसी अधिकारी/कर्मचारी का अतिरिक्त पद स्वीकृत नहीं किया जायेगा। राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते हैं कि वर्तमान कृषि विपणन संगठन तथा उससे संबंधित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मुख्यालय तथा क्षेत्र के लिये स्वीकृत अधिकारियों/कर्मचारियों के राजपत्रित/अराजपत्रित पद दिनांक १५ जुलाई, १९७६ से कृषि विपणन निदेशक के अधीन स्थानान्तरित माने जायेंगे तथा उन पदों के पद धारक कृषि विपणन निदेशक के अधीन अपने वर्तमान पदों पर ही कार्य करते रहेंगे। कृषि विपणन निदेशालय से संबंधित उन पदों पर कृषि निदेशालय से स्थानान्तरण द्वारा अन्तिम रूप से तैनाती एवं नियुक्ति के आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

३-- राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते हैं कि वर्तमान कृषि विपणन संगठन के समस्त कार्यों तथा योजनाओं के संचालन एवं कार्यान्वयन से संबंधित प्रदत्त कृषि निदेशक के सभी प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार भी दिनांक १५ जुलाई, १९७६ से कृषि विपणन निदेशक को प्रतिनिहित किये जाते हैं। तदनुसार वर्तमान कृषि विपणन संगठन से संबंधित प्रदेश के समस्त कार्य और योजनाओं के संचालन एवं

---------- २

कार्यान्वयन के लिये उक्त दिनांक से कृषि विपणन निदेशक उत्तरदायी होंगे और उपरोक्त कार्यों से संबंधित पदों पर कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उन के नियंत्रण में कार्य करेंगे।

४-- जब तक अन्यथा आदेशित न किया जाये कृषि विपणन निदेशालय के पदों के पदधारकों के सम्बन्ध में वही सेवा नियम अपनाये( Adopt ) जायेंगे जो कि इस समय कृषि निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रभावी हैं।

५-- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति, जो उनके अशासकीय संख्या ई-१-११३२।दस-७६, दिनांक १४ जुलाई, १९७६ के अन्तर्गत प्राप्त की गयी, से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह०।-
कृष्ण नारायण श्रीवास्तव
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या ३३०६(१)।१२-८-१३३।७६

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

१-- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
२-- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
३-- राज्य कृषि विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
४-- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-१
५-- कृषि अनुभाग-७, कृषि अनुभाग-१, कृषि अनुभाग-६, विधान भवन, लखनऊ।
६-- कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, कृषि विभाग, फरीदाबाद, (हरियाणा)।
७-- सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

आज्ञा से,

ह०।
राधे कृष्ण गुप्त
संयुक्त सचिव।

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।
लखनऊ दिनांक जुलाई २१, १९७६

पत्रांक-रा०कृ०वि०अ०।११६८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

१-- समस्त क्षेत्रीय सहायक कृषि विपणन अधिकारी।
२-- समस्त मण्डलीय उप कृषि निदेशक।
३-- समस्त उप कृषि निदेशक(भूमि संरक्षण)।
४-- कृषि निदेशालय के समस्त अनुभागाध्यक्ष।
५-- समस्त जिला कृषि अधिकारी।
६-- अर्थ एवं सांख्यकी सलाहकार, भारत सरकार, नई दिल्ली।
७-- वरिष्ठ विपणन अधिकारी, प्रभारी उत्तरी क्षेत्र, भारत सरकार ४।२० आसफअली रोड, नई दिल्ली।
८-- विपणन अधिकारी, प्रभारी, मण्डी सचिव प्रशिक्षण केन्द्र, १०८, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
९-- शोध अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय अर्थ एवं सांख्यकी निदेशालय, भारत सरकार, लखनऊ।

ह०। -
( हरिहर प्रसाद सिंह )
कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

प०सिंह।२६-६-७६